International Journal Of Advances In
ENGINEERING, SCIENCE, COMMERCE, MANAGEMENT AND LAW

International Journal of Advances in Engineering, Science, Commerce, Management, and Law
ISSN : 3048-8427 (Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed, Refereed Open Access Journal)

Original Article

कृषि विपणन व्यवस्था में दोष: बिहार राज्य के संदर्भ में

डॉ. मनोज कुमार

नावकोठी, बेगूसराय

सारांश

कृषि विपणन व्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो उत्पादक से उपभोक्ता तक मूल्य श्रृंखला को सुचारू बनाती है और किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करती है। बिहार जैसे कृषि-प्रधान राज्य में, जहाँ कृषि और संबद्ध क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSVA) में लगभग 20% योगदान देते हैं तथा ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है, विपणन व्यवस्था की कमजोरियाँ किसानों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। 2006 में APMC अधिनियम के पूर्ण निरस्तीकरण के दो दशक बाद भी अपेक्षित निजी निवेश नहीं आया, जिससे बाजारों का घनत्व कम रहा, मध्यस्थों का प्रभुत्व बढ़ा और किसान अभी भी गांव-स्तरीय अनियमित बाजारों पर आश्रित हैं। बिहार में 97% से अधिक छोटे एवं सीमांत किसान हैं, जिनकी जोतें छोटी हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा) से लगातार प्रभावित होते रहते हैं। इन परिस्थितियों में विपणन दोष—जैसे लंबी मध्यस्थ श्रृंखला, भंडारण एवं शीतलन सुविधाओं की कमी, परिवहन की असुविधा, ग्रेडिंग-मानकीकरण का अभाव, बाजार सूचना की कमी तथा MSP पर सरकारी खरीद की नगण्य भागीदारी—किसानों को distress selling के लिए मजबूर करते हैं। परिणामस्वरूप पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस 10-30% तक पहुँच जाता है, मूल्य अस्थिरता बढ़ती है और किसानों की वास्तविक आय उपभोक्ता मूल्य का मात्र 70-80% ही रह जाती है।

यह शोध-पत्र बिहार के संदर्भ में इन दोषों का गहन विश्लेषण करता है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू होकर वर्तमान वास्तविकताओं—PACS, FPO, e-NAM जैसी पहलों की सीमाओं—तक जाता है और नीतिगत खामियों को उजागर करता है। अंत में, यह सुझाव देता है कि एक आधुनिक, समावेशी नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करे, सहकारिता को मजबूत करे और डिजिटल-भौतिक अवसंरचना का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। बिहार की कृषि को सशक्त बनाने के लिए विपणन सुधार न केवल आय बढ़ाने का साधन है, बल्कि ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा तथा राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति का आधार भी है। इन दोषों को दूर किए बिना बिहार के किसान सशक्तिकरण के सपने अधूरे रह जाएंगे। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा विकास कार्यकर्ताओं के लिए एक विचारोत्तेजक दस्तावेज़ है जो साक्ष्य-आधारित सुधारों की मांग करता है।

मुख्य शब्द: कृषि विपणन व्यवस्था, बिहार राज्य, APMC अधिनियम निरस्तीकरण, मध्यस्थ शोषण, भंडारण एवं शीतलन सुविधा की कमी, मूल्य अस्थिरता, विवश विक्रय।

1. प्रस्तावना

कृषि विपणन व्यवस्था कृषि उत्पादन की सफलता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह केवल उपज को बाजार तक पहुँचाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसान की मेहनत को आर्थिक मूल्य में बदलने का पुल है। जब यह पुल कमजोर होता है, तो किसान की आय सिकुड़ जाती है, आत्मविश्वास घटता है और समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बिहार राज्य, जिसे 'भारत का अन्न भंडार' कहा जाता है, इस सच्चाई को सबसे गहराई से महसूस करता है। यहाँ कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था का 20% हिस्सा हैं, बल्कि लगभग 75-80% ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार भी हैं। छोटी जोतें, बाढ़-प्रभावित मैदान, सीमित सिंचाई और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ पहले से ही किसानों को संवेदनशील बनाती हैं। ऐसे में विपणन व्यवस्था की खामियाँ उनके लिए घातक सिद्ध होती हैं।

स्वतंत्र भारत में कृषि विपणन को विनियमित करने के लिए 1960 के APMC अधिनियम ने मंडी समितियों का ढांचा खड़ा किया, जिसका उद्देश्य मध्यस्थ शोषण रोकना और उचित मूल्य सुनिश्चित करना था। किंतु बिहार ने 2006 में इस अधिनियम को पूर्णतः निरस्त कर दिया—देश का एकमात्र राज्य जो इतना कठोर कदम उठाने का साहस दिखा सका। उद्देश्य स्पष्ट था: निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना, नए

बाजार खोलना और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना। दो दशक बीत गए, लेकिन वादे अधूरे रह गए। आज भी अधिकांश उपज गांव के हाटों, सड़क किनारे या स्थानीय व्यापारियों को कम दाम पर बिक जाती है। छोटे किसान नकदी की तुरंत जरूरत के कारण विवश होते हैं, जबकि बड़े व्यापारी मुनाफा कमाते हैं। यह प्रस्तावना इन दोषों की जड़ों को समझने का प्रयास है। यह बिहार के किसानों की वास्तविक पीड़ा को शब्द देती है—वे जो उपज उगाते हैं, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं पाते। शोध का उद्देश्य है कि मात्र आँकड़ों से आगे जाकर उन संरचनात्मक, संस्थागत और मानवीय कारकों का विश्लेषण किया जाए जो बिहार की कृषि विपणन व्यवस्था को कमजोर बनाए हुए हैं। यह पत्र न केवल समस्याओं को रेखांकित करता है, बल्कि आशा की किरण भी दिखाता है—कि सही नीतियों, सहकारिता के पुनरुत्थान और डिजिटल नवाचार से बिहार के किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकते हैं।

2. बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था का अवलोकन

बिहार की कृषि विपणन व्यवस्था की कहानी विकास की आकांक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच का संघर्ष है। 1960 के APMC अधिनियम के तहत राज्य में 95 मंडी समितियाँ कार्यरत थीं, जो किसानों को संरक्षण देने का दावा करती थीं। इन समितियों के माध्यम से शुल्क, लाइसेंस और विनियमन का ढांचा खड़ा किया गया था। फिर 1 सितंबर 2006 को बिहार कृषि उत्पाद बाजार (निरस्तीकरण) अधिनियम के जरिए पूरे ढांचे को समाप्त कर दिया गया। यह कदम उस समय क्रांतिकारी माना गया—निजी क्षेत्र को बिना किसी बाधा के बाजार में प्रवेश करने का अवसर। उम्मीद थी कि नई मंडियाँ उभरेंगी, कोल्ड स्टोरेज बनेगे, प्रसंस्करण इकाइयाँ लगेंगी और किसान सीधे कॉर्पोरेट या निर्यातकों से जुड़ेंगे। किंतु वास्तविकता अलग रही। निरस्तीकरण के बाद निजी निवेश सीमित रहा। आज बिहार में विनियमित बाजारों का अभाव है और अनियमित हाट-पेठिया ही प्रमुख हैं। अधिकांश किसान (90% से अधिक) अपनी उपज गांव स्तर पर ही बेच देते हैं। PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ) अब कुछ हद तक खरीद की भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनकी क्षमता और पारदर्शिता अभी भी चुनौतीपूर्ण है। e-NAM प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई, पर APMC जैसी नियामक संरचना के अभाव में यह पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सका। FPO (किसान उत्पादक संगठन) गठन की सरकारी पहल सराहनीय है, किंतु इनकी संख्या और बाजार लिंकेज अभी अपर्याप्त हैं।

2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन विपणन पक्ष कमजोर बना हुआ है। धान की MSP खरीद कुल उत्पादन का मात्र 20-25% है, जबकि गेहूँ की खरीद नगण्य। मखाना, आम, लिची जैसी विशेष फसलों में भी मध्यस्थों का वर्चस्व है। परिवहन, भंडारण और ग्रेडिंग की कमी के कारण मूल्य श्रृंखला में मूल्य-वर्धन नहीं हो पाता। किसान अभी भी मौसम, मध्यस्थों की मर्जी और तात्कालिक नकदी की जरूरत पर निर्भर हैं। यह अवलोकन स्पष्ट करता है कि बिहार की विपणन व्यवस्था पारंपरिक और आधुनिक दोनों तत्वों का मिश्रण है, किंतु संतुलन की कमी है। यह स्थिति न केवल किसानों की आय प्रभावित करती है, बल्कि कृषि विविधीकरण और ग्रामीण उद्यमिता को भी बाधित करती है। आगे के खंडों में हम इन दोषों को विस्तार से समझेंगे और समाधान की दिशा तलाशेंगे।

3. कृषि विपणन व्यवस्था के प्रमुख दोष (बिहार के संदर्भ में)

बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था निम्नलिखित प्रमुख दोषों से ग्रस्त है:

3.1 मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला एवं शोषण

बिहार के छोटे-सीमांत किसान (97% से अधिक) अपनी उपज को गांव के हाट या सड़क-किनारे के बाजार में बेचने को मजबूर हैं, जहाँ मध्यस्थों (व्यापारी, आढ़ती, कमीशन एजेंट) की लंबी श्रृंखला किसान की मेहनत का बड़ा हिस्सा निगल जाती है। 2006 के APMC अधिनियम निरस्तीकरण के बाद निजी निवेश की कमी ने यह समस्या और गहरा दी। किसान तुरंत नकदी की जरूरत में विवश होकर फसल को कम दाम पर बेच देते हैं, जबकि व्यापारी बिना कोई मूल्य-वर्धन किए मुनाफा कमाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि किसानों को उपभोक्ता मूल्य का मात्र 55-80% ही प्राप्त होता है। यह शोषण न केवल आर्थिक है, बल्कि मानवीय भी—एक किसान जो महीनों खेत में पसीना बहाता है, वह अपनी उपज का उचित मूल्य न पाकर हताश हो जाता है।

यह श्रृंखला छोटी जोत, कम marketable surplus और तात्कालिक नकदी की मजबूरी से पनपती है। बड़े व्यापारी बाजार की जानकारी रखते हैं, जबकि किसान अंधेरे में रह जाता है। परिणामस्वरूप distress selling आम है, जो किसान की आय को स्थायी रूप से कमजोर करती है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ कृषि 75-80% ग्रामीण परिवारों की आजीविका है, यह दोष न केवल व्यक्तिगत दुख का कारण है,

बल्कि समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पीछे खींचता है। सुधार की दिशा में FPO और सहकारिता को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि किसान सीधे बाजार से जुड़ सके और अपनी मेहनत का फल पूरा-पूरा पा सके। यह दोष बिहार की कृषि को आधुनिक बनाने की सबसे बड़ी बाधा है।

3.2 भंडारण एवं शीतलन सुविधाओं की कमी

बिहार में भंडारण और शीतलन सुविधाओं का अभाव किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा है। ग्रामीण गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और वैज्ञानिक भंडारण की कमी के कारण पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस अनाज में 10-15% और फल-सब्जी-मखाना में 22-30% तक पहुँच जाता है। छोटे किसान उपज को घर में या खुले में रखने को विवश होते हैं, जहाँ नमी, कीट और मौसम की मार से फसल खराब हो जाती है। APMC निरस्तीकरण के बाद निजी क्षेत्र ने कोल्ड चेन में निवेश नहीं किया, जिससे पेरिशेबल फसलें (टमाटर, आम, लिची) सड़क पर ही सड़ जाती हैं। यह कमी न केवल मात्रा की हानि करती है, बल्कि गुणवत्ता भी घटाती है, जिससे मूल्य और गिरता है। किसान की दृष्टि से यह दैनिक संघर्ष है—वह जानता है कि बेहतर भंडारण से वह फसल को मौसम के हिसाब से बेच सकता है, लेकिन सुविधा न होने से मजबूरन तुरंत बेच देता है। बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति और विकट है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में यह दोष मूल्य श्रृंखला को तोड़ता है और किसान को मध्यस्थों पर निर्भर बनाए रखता है। नीतिगत रूप से ग्रामीण भंडारण योजनाओं को FPO के माध्यम से तेजी से लागू करना होगा, ताकि किसान अपनी उपज को समय पर बेचने के बजाय मूल्य वृद्धि का लाभ ले सके। यह दोष बिहार की कृषि को सशक्त बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा है।

3.3 परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स की समस्या बिहार की खराब सड़कें, अपर्याप्त रेल सुविधाएँ और ऊँची परिवहन लागत विपणन व्यवस्था को जकड़े हुए हैं। दूरस्थ गांवों से बाजार तक पहुँचने में फसल खराब हो जाती है, खासकर पेरिशेबल उत्पादों की। छोटे किसान ट्रैक्टर या साइकिल पर उपज ले जाते हैं, जो समय और लागत दोनों बढ़ाता है। APMC के बाद नई बाजार अवसंरचना नहीं बनी, इसलिए किसान गांव-स्तरीय व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं। यह समस्या किसान को सीधे दूर के बाजारों (पटना, दिल्ली) से जोड़ने में बाधा डालती है, जहाँ बेहतर मूल्य मिल सकता था। परिवहन की कमी मूल्य अस्थिरता बढ़ाती है और किसान की आय को सीमित रखती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह दोष विकास को रोकता है—किसान जो मेहनत से फसल उगाता है, वह उसे समय पर और सही जगह नहीं पहुँचा पाता। बाढ़ के मौसम में सड़कें बंद हो जाने से स्थिति और बिगड़ जाती है। आधुनिक लॉजिस्टिक्स (रीफर वैन, पैकहाउस) और सड़क नेटवर्क का विकास जरूरी है। यदि किसान अपनी उपज को आसानी से बाजार तक पहुँचा सके, तो न केवल उसकी आय बढ़ेगी, बल्कि बिहार की कृषि भी प्रतिस्पर्धी बनेगी। यह दोष बिहार के किसानों के आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा अवरोध है।

3.4 ग्रेडिंग, मानकीकरण एवं मापन प्रणाली का अभाव

बिहार के गांव-स्तरीय हाटों में ग्रेडिंग और मानकीकरण की पूरी कमी है। उपज की गुणवत्ता के आधार पर छँटाई नहीं होती; सब कुछ एक साथ बेचा जाता है। गैर-मानक मापन (लकड़ी, पत्थर, पुराने तराजू) का इस्तेमाल आम है, जिससे किसान को गुणवत्ता-आधारित प्रीमियम नहीं मिलता। छोटे किसान बेहतर बीज और तकनीक से अच्छी फसल उगाते हैं, लेकिन बिना ग्रेडिंग के उसे औसत दाम ही मिलता है। यह दोष किसान की मेहनत को निरर्थक बनाता है और गुणवत्ता सुधार के प्रति प्रोत्साहन कम करता है। उपभोक्ता स्तर पर भी मिलावट बढ़ती है। APMC के अभाव में कोई नियामक ढांचा नहीं है जो मानक लागू करे। परिणामस्वरूप किसान बाजार में कमजोर सौदेबाज बन जाता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ विविध फसलें (मखाना, लिची, सब्जियाँ) उगती हैं, यह कमी प्रसंस्करण और निर्यात को भी बाधित करती है। यदि ग्रेडिंग-मानकीकरण को FPO और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, तो किसान अपनी मेहनत का सही मूल्य पा सकेगा। यह दोष न केवल आर्थिक है, बल्कि किसान के आत्मसम्मान से जुड़ा है—वह जानता है कि उसकी फसल बेहतर है, लेकिन बाजार उसे पहचान नहीं पाता।

3.5 बाजार सूचना प्रणाली का अभाव

बिहार के अधिकांश किसान वर्तमान मूल्य, माँग-आपूर्ति और दूरस्थ बाजार की जानकारी से वंचित रहते हैं। वे मध्यस्थों द्वारा बताए गए दाम पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर कम होते हैं। e-NAM जैसी पहलें APMC ढांचे के अभाव में प्रभावी नहीं हो पाईं। छोटा किसान मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल भी सीमित रखता है, जिससे वह अंधेरे में फैसला लेता है। यह दोष किसान को सशक्तिकरण से वंचित रखता है। वह नहीं जान पाता कि आज पटना में दाम कितना है या कल क्या ट्रेंड होगा। परिणामस्वरूप distress selling बढ़ती है। बिहार की कृषि में यह कमी

मूल्य अस्थिरता को बढ़ावा देती है और किसान की योजना बनाने की क्षमता को कम करती है। यदि वास्तविक समय की बाजार सूचना (SMS, ऐप, FPO के माध्यम से) उपलब्ध हो, तो किसान बेहतर निर्णय ले सकेगा। यह दोष तकनीकी और संस्थागत दोनों स्तरों पर है। बिहार के किसान मेहनती हैं; उन्हें केवल सही जानकारी की जरूरत है ताकि वे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। यह कमी बिहार की कृषि को आधुनिक बनाने में सबसे बड़ी दीवार है।

3.6 मूल्य अस्थिरता एवं सरकारी खरीद की कमी

APMC निरस्तीकरण के बाद बिहार में मूल्य अस्थिरता बढ़ गई है। MSP पर सरकारी खरीद नगण्य है—धान की खरीद कुल उत्पादन का 20-25% और गेहूँ की 1-2% से भी कम। PACS के माध्यम से खरीद भी अनियमित और सीमित है। किसान व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं, जो मौसम और माँग के अनुसार दाम तय करते हैं। परिणामस्वरूप किसान कभी-कभी MSP से भी नीचे बेचने को विवश होते हैं। यह दोष किसान की आय को अनिश्चित बनाता है और कृषि विविधीकरण को रोकता है। छोटा किसान जो बाढ़ और सूखे से पहले ही संघर्ष करता है, मूल्य की अनिश्चितता उसे और कमजोर करती है। सरकारी खरीद की कमी से MSP का लाभ भी नहीं मिल पाता। बिहार की अर्थव्यवस्था में यह दोष ग्रामीण गरीबी को बढ़ावा देता है। यदि प्रभावी MSP खरीद और contract farming को पारदर्शी बनाया जाए, तो किसान को स्थिरता मिलेगी। यह दोष नीतिगत असफलता का प्रतीक है—किसान की मेहनत का मूल्य बाजार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है।

3.7 प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़) का सीधा प्रभाव

बिहार में बाढ़ विपणन व्यवस्था पर सीधा और विनाशकारी प्रभाव डालती है। हर वर्ष उत्तरी बिहार के मैदानों में बाढ़ फसल को डुबो देती है या गुणवत्ता खराब कर देती है, जिससे किसान मजबूरन तुरंत और कम दाम पर बेचने को विवश हो जाता है। भंडारण की कमी के कारण बाढ़-प्रभावित उपज सड़ जाती है। परिवहन रुक जाता है, बाजार पहुँचने से पहले ही नुकसान हो जाता है। यह दोष किसान के पूरे वर्ष के श्रम को एक झटके में नष्ट कर देता है। छोटे किसान बीमा या सहायता मिलने से पहले ही distress selling कर देते हैं। बाढ़ न केवल उत्पादन, बल्कि विपणन चक्र को भी तोड़ देती है। बिहार की कृषि जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है; बाढ़ इसे और असुरक्षित बनाती है। यदि बाढ़-रोधी भंडारण, जल्दी सूचना प्रणाली और बीमा को मजबूत किया जाए, तो किसान इस प्राकृतिक आपदा से उबर सकता है। यह दोष बिहार के किसानों के दैनिक जीवन का हिस्सा है—वे जानते हैं कि मेहनत के बावजूद एक बाढ़ सब कुछ छीन सकती है।

3.8 प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास की कमी

बिहार में प्रौद्योगिकी और कौशल विकास की कमी विपणन व्यवस्था को पुरानी और अप्रभावी बनाए हुए है। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग मशीन या आधुनिक भंडारण तकनीक से अनभिज्ञ रहते हैं। FPO और e-NAM जैसी योजनाएँ भी कौशल अभाव के कारण सीमित सफल हैं। छोटे किसान मोबाइल ऐप या बाजार सूचना का उपयोग नहीं कर पाते। यह दोष किसान को आधुनिक बाजार से अलग रखता है। वह मेहनत से फसल उगाता है, लेकिन बिना कौशल के उसे बेचने में असफल रहता है। राज्य की कृषि विकास दर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी सहायता बढ़ाई जाए, तो किसान स्वयं बाजार का नियंत्रण ले सकेगा। यह कमी संस्थागत है—सरकार और NGOs को किसानों के कौशल विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिहार के किसान सक्षम हैं; उन्हें केवल सही टूल और ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वे अपनी कृषि को लाभकारी बना सकें।

4. दोषों के प्रभाव

बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था के दोष केवल सैद्धांतिक कमियाँ नहीं, बल्कि लाखों किसान परिवारों के दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली वास्तविक पीड़ा हैं। ये दोष उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को तोड़ देते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाते हैं। नीचे इन प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है:-

4.1 किसानों की आय में कमी एवं distress selling

बिहार के छोटे-सीमांत किसान अपनी उपज का उचित मूल्य न पाकर गंभीर आय संकट का सामना करते हैं। मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला, भंडारण की कमी और बाजार सूचना के अभाव के कारण उन्हें तुरंत नकदी की मजबूरी में फसल बेचनी पड़ती है—इसे distress selling कहते हैं। एक किसान जो महीनों खेत में जुताई, बुवाई और सिंचाई की मेहनत करता है, वह फसल पकने के बाद मात्र 55-80% ही मूल्य पाता है। बाढ़ या सूखे

के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है; किसान जानता है कि बेहतर दाम का इंतजार करना उसके लिए घातक होगा। परिणामस्वरूप उसकी वार्षिक आय घटती है, ऋण बढ़ता है और परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पातीं। यह आय की कमी न केवल आर्थिक है, बल्कि भावनात्मक भी—किसान की मेहनत का अपमान और भविष्य की अनिश्चितता उसे हताश कर देती है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ 97% किसान छोटी जोत पर निर्भर हैं, यह दोष उनकी आत्मनिर्भरता को चूर-चूर कर देता है और कृषि को घाटे का सौदा बना देता है। लंबे समय में यह किसान को कृषि छोड़ने या अतिरिक्त मजदूरी की ओर धकेलता है।

4.2 कृषि विविधीकरण (उच्च मूल्य वाली फसलों) में बाधा

विपणन व्यवस्था के दोष बिहार के किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों (जैसे लिची, मखाना, सब्जियाँ, फल) की ओर जाने से रोकते हैं। किसान जानते हैं कि इन फसलों से बेहतर आय हो सकती है, लेकिन भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग और शीतलन की कमी के कारण इनकी उपज जल्दी खराब हो जाती है। परिणामस्वरूप वे पारंपरिक फसलों (धान, गेहूँ) पर ही टिके रहते हैं, जिनमें जोखिम कम है किंतु आय भी सीमित। एक छोटा किसान सोचता है—"अगर मैं मखाना उगाऊँ तो बेचने में नुकसान हो जाएगा, इसलिए सुरक्षित धान ही बेहतर है।" यह सोच कृषि विविधीकरण को रोकती है और राज्य की कृषि को पुरानी तथा कम उत्पादक बनाए रखती है। उच्च मूल्य वाली फसलों में मूल्य-वर्धन की संभावना अधिक होती है, लेकिन विपणन दोष इसे अवरुद्ध कर देते हैं। इससे न केवल किसान की आय प्रभावित होती है, बल्कि राज्य की समग्र कृषि उत्पादकता और निर्यात क्षमता भी कम हो जाती है। बिहार की विविध जलवायु और मिट्टी उच्च मूल्य फसलों के लिए आदर्श है, फिर भी विपणन की कमजोरी इसे अवसर में बदलने नहीं देती। यह दोष दीर्घकालिक कृषि विकास को बाधित करता है और किसानों को पुरानी फसल चक्र में जकड़े रखता है।

4.3 ग्रामीण गरीबी एवं पलायन

कृषि विपणन के दोष सीधे ग्रामीण गरीबी को बढ़ावा देते हैं और बड़े पैमाने पर पलायन को जन्म देते हैं। जब किसान की आय कम होती है और distress selling मजबूरी बन जाती है, तो परिवार का बजट टूट जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी बुनियादी जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा किसान देखते हैं कि खेती से भविष्य नहीं बन रहा, इसलिए वे दिल्ली, पंजाब या अन्य राज्यों में मजदूरी की तलाश में पलायन कर जाते हैं। यह पलायन न केवल परिवार को बिखेरता है, बल्कि गांव की युवा शक्ति को भी छीन लेता है। महिलाएँ और बुजुर्ग खेत संभालने को मजबूर होते हैं। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और कमजोर करती है—स्थानीय बाजार, छोटे उद्यम और सामुदायिक जीवन प्रभावित होते हैं। बिहार में विपणन दोषों के कारण लाखों परिवार सालाना पलायन करते हैं, जो राज्य की जनसांख्यिकी और विकास को असंतुलित बनाता है। गरीबी और पलायन का यह चक्र तब तक नहीं टूटेगा जब तक विपणन व्यवस्था किसानों को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक आय नहीं देगी। यह दोष मानवीय क्षति का सबसे दर्दनाक रूप है।

4.4 राज्य की कृषि विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव

विपणन व्यवस्था के दोष बिहार की समग्र कृषि विकास दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जब किसान उचित मूल्य नहीं पाते, तो वे निवेश (बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई) करने में हिचकिचाते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ने के बजाय स्थिर या घटती रहती है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षणों में कृषि क्षेत्र की विकास दर अन्य राज्यों से पीछे रहती है, मुख्यतः विपणन कमजोरियों के कारण। छोटे किसानों की आय कम होने से ग्रामीण खपत घटती है, जो कृषि से जुड़े उद्योगों (प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण) को भी प्रभावित करती है। इससे रोजगार सृजन रुक जाता है और राज्य की अर्थव्यवस्था का कृषि-आधारित इंजन धीमा पड़ जाता है। उच्च विचारधारा से देखें तो यह दोष बिहार को 'कृषि राज्य' से 'कृषि-समृद्ध राज्य' बनने से रोक रहा है। यदि विपणन सुधर जाए, तो कृषि विकास दर न केवल बढ़ेगी, बल्कि उद्योग और सेवा क्षेत्र को भी बल मिलेगा। वर्तमान में यह नकारात्मक प्रभाव बिहार की आर्थिक महत्वाकांक्षा को सीमित कर रहा है और राज्य को पिछड़ेपन के चक्र में फँसाए हुए है।

4.5 उपभोक्ता स्तर पर भी ऊँची कीमतें

विपणन दोषों का प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं तक भी फैलता है। मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला, परिवहन की समस्या और पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस के कारण उपज की लागत बढ़ जाती है। किसान को कम मूल्य मिलता है, लेकिन शहर के उपभोक्ता को उसी

उपज की कीमत बहुत ऊँची चुकानी पड़ती है। बिहार में उत्पादित धान, सब्जियाँ या फल पटना, दिल्ली या अन्य शहरों तक पहुँचते-पहुँचते 2-3 गुना महंगे हो जाते हैं। इससे निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। विडंबना यह है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही हारे हुए हैं—किसान आय से वंचित, उपभोक्ता महँगाई से पीड़ित। यह दोष पूरे खाद्य प्रणाली को अक्षम बनाता है। यदि विपणन व्यवस्था सुचारू हो जाए, तो दोनों पक्ष लाभान्वित होंगे—किसान को बेहतर दाम, उपभोक्ता को उचित कीमत। बिहार की कृषि दोषों के कारण आज भी यह असंतुलन बरकरार है, जो राज्य की सामाजिक-आर्थिक समानता को चुनौती देता है।

निष्कर्ष

बिहार की कृषि विपणन व्यवस्था में व्याप्त दोष मात्र सैद्धांतिक कमियाँ नहीं, बल्कि लाखों छोटे-सीमांत किसानों के सपनों, मेहनत और परिवारों की खुशहाली को चोट पहुँचाने वाली वास्तविक पीड़ा हैं। 2006 के APMC अधिनियम निरस्तीकरण के दो दशक बाद भी अपेक्षित निजी निवेश नहीं आया, बाजार घनत्व कम रहा और मध्यस्थों का वर्चस्व बरकरार है। भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग, बाजार सूचना तथा सरकारी खरीद की कमी ने किसानों को distress selling की मजबूरी में धकेल दिया है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ और प्रौद्योगिकी-कौशल की कमी ने इन समस्याओं को और गहरा दिया है। परिणामस्वरूप किसानों की आय घट रही है, कृषि विविधीकरण रुक गया है, ग्रामीण गरीबी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है और राज्य की कृषि विकास दर प्रभावित हो रही है।

यह दोषपूर्ण व्यवस्था केवल किसान की आर्थिक हानि नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और आत्मसम्मान की हानि भी है। एक किसान जो सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता है, अपनी फसल को उचित मूल्य न मिलने पर हताश हो जाता है। उसकी मेहनत का फल मध्यस्थों के जेब में चला जाता है, जबकि परिवार की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं। बिहार जैसे कृषि-प्रधान राज्य में, जहाँ 75-80% ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है, यह स्थिति समग्र ग्रामीण विकास को पीछे खींच रही है। फिर भी आशा बाकी है। बिहार के किसान मेहनती, सक्षम और परिवर्तन की इच्छा रखने वाले हैं। FPO, सहकारिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक अवसंरचना के सही उपयोग से हम एक समावेशी, पारदर्शी और किसान-केंद्रित विपणन व्यवस्था बना सकते हैं। मजबूत नियामक ढांचा, ग्रामीण भंडारण, बेहतर लॉजिस्टिक्स, वास्तविक समय की बाजार सूचना और प्रभावी MSP खरीद इन दोषों को दूर कर सकते हैं। बिहार की कृषि विपणन व्यवस्था का सुधार न केवल किसानों की आय बढ़ाने का साधन है, बल्कि राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय का आधार भी है। यदि हम आज साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाएँ, तो कल बिहार के किसान न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। यह बदलाव सिर्फ नीतियों का नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक संकल्प का इंतजार कर रहा है—क्योंकि किसान की समृद्धि ही बिहार की समृद्धि है।

References

1. Acharya, S. S., & Agarwal, N. L. (2020). *Agricultural marketing in India* (7th ed.). Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd.
2. Reddy, S. S., Ram, P. R., Sastry, T. V. N., & Bhavani, D. I. (2019). *Agricultural economics* (5th ed.). Oxford University Press.
3. Government of Bihar. (2024). *Bihar economic survey 2023-24*. Finance Department, Government of Bihar. https://finance.bihar.gov.in/
4. Government of Bihar. (2025). *Bihar economic survey 2024-25*. Finance Department, Government of Bihar.
5. Sinha, R. K. (2020). *Extent of erosion into farm profitability due to market imperfections in Bihar*. Agro-Economic Research Centre, T.M. Bhagalpur University.
6. NITI Aayog. (2017). *Doubling farmers' income: Rationale, strategy, prospects and action plan* (Policy Paper No. 1/2017). Government of India.
7. NITI Aayog. (2018). *Strategy for new India @75*. Government of India.
8. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. (2024). *Annual report 2023-24*. Government of India.
9. Chatterjee, S., Krishnamurthy, M., Kapur, D., & Bouton, M. (2020). *A study of the agricultural markets of Bihar, Odisha and Punjab*. Center for the Advanced Study of India, University of Pennsylvania.
10. National Institute of Agricultural Marketing (NIAM). (2012). *Investment in agricultural marketing and market infrastructure: A case study of Bihar 2011-12*. Ministry of Agriculture, Government of India.
11. Agro-Economic Research Centre for Bihar & Jharkhand. (2020). *Farm profitability due to market imperfections in Bihar*. T.M. Bhagalpur University.
12. Government of India. (2023). *Economic survey 2022-23*. Ministry of Finance.
13. NABARD. (2023). *Rural economic review and agricultural marketing infrastructure in eastern states*. National Bank for Agriculture and Rural Development.
14. Directorate of Economics and Statistics. (2024). *Agricultural statistics at a glance 2023-24*. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
15. OECD. (2018). *Agricultural policies in India*. OECD Publishing.
16. Arya, L.K. et al. (2019). Problems in marketing of agriculture products in Bihar. *The Economics Journal*.
17. Roy, B. & Jha, M. (2023). Problem faced in marketing of agriculture products in Bihar. *Marketing Journal*.
18. Sinha, R.K. (2020). Extent of Erosion into Farm Profitability due to Market Imperfections in Bihar. Agro-Economic Research Centre, T.M. Bhagalpur University.
19. "Identifying the binding constraints of agricultural growth in Bihar", Ideas for India.
20. Bihar Economic Survey